

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 6157/2024

नेवा लाल पुत्र श्री काजोड़, निवासी करोन्दी, बूंदी, जिला बूंदी (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
- जांसी लाल पुत्र श्री रामदेव मीणा, निवासी देवपुरा सांखला, जिला टोंक (राज.)।
वर्तमान में ग्राम बुधपुरा, पुलिस थाना डाबी, जिला बूंदी (राज.)।

----प्रतिवादी

संबंधित

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 1752/2023

राजेश कुमार पुत्र श्री हुमला, निवासी सिविल लाइंस, बृजराज कॉलोनी, नयापुरा कोटा राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
- जांसीलाल मीणा पुत्र रामदेव मीणा, निवासी बुधपुरा, डाबी, बूंदी राजस्थान।

----प्रतिवादी

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 4038/2023

राजेश गुर्जर पुत्र रामवरूप जी गुर्जर, निवासी हल्का पटवारी डाबी तहसील तालेड़ा बूंदी राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- 1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
- 2. जांसी लाल मीणा पुत्र रामदेव मीणा, निवासी बुधपुरा, डाबी, बूंदी राजस्थान।

-----प्रतिवादी

एस.बी. आपराधिक रिट याचिका संख्या 471/2024

पृथ्वी सिंह पुत्र श्री राय सिंह, आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी मकान नंबर बी/154 गेट नंबर 6 नवजीवन कॉलोनी बूंदी (राज.)।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

- 1. राजस्थान राज्य, पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय जयपुर के माध्यम से।
- 2. पुलिस अधीक्षक, बूंदी, राजस्थान।
- 3. पुलिस उपाधीक्षक, बूंदी, जिला बूंदी (राज.)।
- 4. जांसी लाल मीणा पुत्र रामदेव मीणा, निवासी बुधपुरा, डाबी, बूंदी (राज.)।

-----प्रतिवादी

एस.बी. आपराधिक रिट याचिका संख्या 1101/2024

पृथ्वी सिंह पुत्र श्री राय सिंह, आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी मकान नंबर बी-154 गेट नंबर 6 नवजीवन कॉलोनी बूंदी (राज.)।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

- 1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
- 2. जिला कलेक्टर (भूमि अभिलेख), बूंदी

-----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए	:	श्री जगमोहन सक्सेना के साथ श्री धर्मेन्द्र पारीक श्री श्याम बिहारी गौतम के लिए श्री विजय सिंह श्री राजेंद्र सिंह तंवर श्री संजय कुमार शर्मा
प्रतिवादी (ओं) के लिए	:	श्री ऋषि राज सिंह राठौड़,

पी.पी. डॉ. महेश शर्मा के साथ
सुश्री हर्षिता शर्मा
श्री तरुण कांत सोमानी,
आरपीएस, सीओ, पीएस तालेड़ा,
बूंदी

माननीय न्यायमूर्ति श्री समीर जैन
आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

आरक्षित दिनांक : 25/09/2024

घोषित दिनांक : 05/11/2024

1. शीघ्रता, सुगमता और अंतर्संबंधित मुद्दों पर विचार करते हुए, वर्तमान याचिकाओं को एक साथ जोड़ा गया और इसलिए सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया।

पृष्ठभूमि

2. एस.बी. आपराधिक विविध याचिका संख्या 6157/2024 बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत दायर की गई है, जिसमें अभियुक्त-याचिकाकर्ता के विरुद्ध संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के निर्देश मांगे गए हैं; यह एफ.आई.आर. संख्या 044/2023 दिनांक 20.02.2023 से उत्पन्न हुई है, जो पुलिस थाना डाबी, जिला बूंदी, राजस्थान में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 166 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज की गई थी, जबकि एस.बी. आपराधिक विविध याचिका संख्या 1752/2023 अभियुक्त-याचिकाकर्ता राजेश कुमार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एफ.आई.आर. (उपरोक्त) को रद्द करने के निर्देश मांगने के लिए दायर की गई है, जबकि एस.बी. आपराधिक विविध याचिका संख्या 4038/2023 अभियुक्त-याचिकाकर्ता राजेश गुर्जर द्वारा एफ.आई.आर. (उपरोक्त) को रद्द करने के निर्देश मांगने के लिए दायर की गई है, जबकि एस.बी. आपराधिक रिट याचिका संख्या 471/2024 चुनौतीप्राप्त एफ.आई.आर. (उपरोक्त) के संबंध में मामलों को चुनौती देने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत याचिकाकर्ता – पृथ्वी सिंह के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए दायर की गई है।

3. वर्तमान समूह के विचार के लिए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि परिवादी ने दिनांक 31.01.2023 को अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं – श्री राजेश गुर्जर और श्री राजेश भील के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट, तालेड़ा, जिला बूंदी की अदालत में एक आपराधिक शिकायत दायर की थी, जो 09.11.2020 को हुई एक घटना से संबंधित थी, जिसमें जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। तत्पश्चात, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अनुसार अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, माननीय मजिस्ट्रेट ने उक्त शिकायत को संबंधित पुलिस थाने को अग्रेषित किया। परिणामस्वरूप, चुनौतीप्राप्त एफ.आई.आर. दर्ज की गई (एसबीसीआरएलएमपी संख्या 6157/2024 में परिशिष्ट-1)।

4. उक्त एफ.आई.आर. दर्ज करने का प्राथमिक कारण यह था कि परिवादी 05.10.2020 से उक्त भूमि (सात बीघा माप की) पर कब्जा रखता है और अभियुक्त-याचिकाकर्ता ने संबंधित पटवारी – श्री राजेश गुर्जर और अन्य के साथ मिलकर उक्त भूमि के विवरण को बदलने और परिवादी का नाम संशोधित करने के लिए एक आपराधिक षड्यंत्र रचा। तत्पश्चात, अभियुक्त-याचिकाकर्ता ने 09.11.2020 को उप-विभागीय अधिकारी, तालेड़ा (जिसे hereinafter एस.डी.ओ. कहा गया है) की अदालत में परिवादी को एक पक्षकार के रूप में शामिल किए बिना एक आवेदन दायर किया। उसके बाद, अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं ने राजस्व अभिलेखों को समन करके जाली और हेरफेर किए गए दस्तावेज प्रस्तुत किए। उसके बाद एस.डी.ओ. ने परिवादी की उक्त भूमि को अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं को देने और उसमें संशोधन/परिवर्तन करने का आदेश पारित किया।

5. अब तक उल्लिखित किसी भी बात के बावजूद, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6979/2022 में दिनांक 12.05.2022 को पारित आदेश, जिसका शीर्षक जांसीलाल बनाम सोहनलाल था, पर विचार करते हुए, यह पाया गया कि राजस्व बोर्ड राजस्थान, अजमेर ने दिनांक 11.04.2022 को चुनौतीप्राप्त निर्णय पारित किया था। यह निर्णय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के दिनांक 22.01.2021 के आदेश पर ध्यान दिए बिना पारित किया गया था, जिसमें यह निष्कर्ष दर्ज किया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के तहत दायर आवेदन पर प्रतिवादियों की

आपत्तियों को आरक्षित रखते हुए, उक्त संपत्ति के संबंध में एक अंतरिम संरक्षण प्रभावी है। दिनांक 12.05.2022 के आदेश का प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"तर्कों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करते हुए, यह न्यायालय उचित और न्यायसंगत मानता है कि पक्षों को राजस्व रिकॉर्ड के साथ-साथ विषय संपत्ति की भौतिक स्थिति के संबंध में अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाए।"

6. सुविधा के लिए घटनाओं का कालक्रम नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

घटनाओं का कालक्रम

दिनांक	घटना
22.12.2017	रतनलाल और नंदा के बीच निष्पादित विक्रय विलेख
05.10.2020	नंदा और जांसीलाल (परिवादी) के बीच निष्पादित विक्रय विलेख
09.11.2020	राजेश कुमार द्वारा धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत आवेदन
07.01.2021	पटवारी द्वारा तैयार की गई छेड़छाड़ की गई मौका रिपोर्ट और आगे अदालत में प्रस्तुत की गई
22.01.2021	एस.डी.ओ. आदेश
19.03.2021	एस.डी.ओ. आदेश के विरुद्ध जांसीलाल द्वारा संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील
23.07.2021	तहसीलदार, तालेड़ा द्वारा जिला कलेक्टर को शिकायत
19.09.2022	डी.एम. और तहसीलदार के आदेश पर नया मौका पर्चा तैयार किया गया
20.02.2023	एफ.आई.आर.
13.05.2024	अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता द्वारा निवेदन

7. याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया था कि चुनौतीप्राप्त एफ.आई.आर. का पंजीकरण प्रारंभ से शून्य है, क्योंकि उक्त एफ.आई.आर. से पहले उसी विवाद के संबंध में एक दीवानी वाद पहले से ही लंबित है। इसके अलावा, उक्त दीवानी वाद से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान विवाद दीवानी क्षेत्राधिकार से संबंधित है और चुनौतीप्राप्त एफ.आई.आर. को आपराधिक स्वरूप

देकर दर्ज कराया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि वर्तमान विवाद का कालक्रम स्वयं परिवादी के दुर्भावनापूर्ण इरादों को उचित ठहराता है क्योंकि कथित घटना 09.11.2020 को हुई थी जिसके लिए 31.01.2023 को एक आपराधिक शिकायत की गई थी और एफ.आई.आर. 20.02.2023 को दर्ज की गई थी। इसके अलावा, उपरोक्त देरी के लिए कोई उचित औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. इसके अतिरिक्त, जब मामले को अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के लिए संदर्भित किया गया था, तो वह बिना किसी विचार और साक्ष्यों का मूल्यांकन किए प्रदान की गई थी, अतः यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के प्रावधानों के विपरीत है।

9. अब तक किए गए निवेदनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने **मनसुख लाल विट्ठलदास चौहान बनाम गुजरात राज्य** में रिपोर्ट किए गए 1997 (7) एससीसी 622 में निहित निर्णय का आधार पर भरोसा किया था, ओडिशा राज्य सरकार द्वारा 15.05.2015 को प्रकाशित एक परिपत्र जिसमें अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के मानदंड माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सीबीआई बनाम अशोक कुमार अग्रवाल – आपराधिक अपील संख्या 1838/2013** में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए बताए गए हैं, उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह प्रस्तुत किया गया था कि स्वीकृति प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वह मामले के भौतिक तथ्यों का पूरा ज्ञान होने के बाद ही स्वीकृति दे या रोके। स्वीकृति देना केवल एक औपचारिकता नहीं है। इसलिए, स्वीकृति से संबंधित प्रावधानों का पूर्ण सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, जिसमें सार्वजनिक हित और अभियुक्त को मिलने वाली सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए जिसके विरुद्ध स्वीकृति मांगी गई है। स्वीकृति अभियोजन के लिए बाधा हटाती है। इसलिए, यह एक कटु अभ्यास नहीं है बल्कि एक गंभीर और पवित्र कार्य है जो सरकारी कर्मचारी को तुच्छ अभियोजन से सुरक्षा प्रदान करता है।

प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता द्वारा निवेदन

10. इसके विपरीत, परिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदनों का दृढ़ता से विरोध किया था और शुरुआत में **सीबीआई बनाम आर्यन सिंह** में रिपोर्ट किए गए 2023 एससीसी ऑनलाईन एससी 379 में निहित निर्णय का आधार पर भरोसा किया

था और निवेदन किया था कि यह न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 528 (पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482) के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए इस स्तर पर एक लघु परीक्षण नहीं कर सकता है।

11. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया था कि वर्तमान मामला इस बात का प्रतिमान है कि कैसे लोक सेवक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसा कि इस मामले में सार्वजनिक अधिकारी निजी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत से राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन और छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसमें, अभियुक्त-याचिकाकर्ता ने गुप्त उद्देश्यों से भूमि अभिलेखों/राजस्व अभिलेखों के संशोधन/परिवर्तन/अनुसमर्थन के लिए आवेदन किया था, उक्त आवेदन संबंधित तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया था, हालांकि, एक विलंबित चरण में अनुचित प्रभाव या दबाव या दुर्भावनापूर्ण इरादों के तहत परिवादी को एक पक्षकार के रूप में शामिल किए बिना, नक्शा मौका रिपोर्ट पर विचार किए बिना और केवल अभियुक्त-आवेदक द्वारा दिए गए बयानों पर भरोसा करते हुए, एकपक्षीय तरीके से अभिलेखों में परिवर्तन किया गया था।

12. समानांतर कार्यवाही, यानी दीवानी याचिका और वर्तमान एफ.आई.आर. के संबंध में किए गए तर्क के संबंध में यह स्पष्ट किया गया था कि दीवानी कार्यवाही उक्त संपत्ति की स्थिति की बहाली के लिए प्रार्थना के साथ शुरू की गई है, जबकि एफ.आई.आर. अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई हेरफेर, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए दर्ज की गई थी। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि दीवानी कार्यवाही वर्ष 2022 में बहुत पहले शुरू की गई थी, हालांकि, परिस्थितियों में बदलाव और परिवादी के विरुद्ध किए गए अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी।

13. तत्पश्चात, यह निवेदन किया गया था कि इसमें हुई घटना में सार्वजनिक अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी शामिल है, जबकि वे किसी भी कारण से अपनी आधिकारिक शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। अतः, अभियोजन स्वीकृति के संबंध में किया गया तर्क प्रासंगिक नहीं है। इसके अलावा, इस मामले में, दिनांक 13.05.2024 को अभियोजन स्वीकृति वर्तमान विवाद के महत्वपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित विचार, अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जांच और उचित विचार के बाद पारित की

गई थी। हालांकि, यह स्वीकार किया जाता है कि एक प्रथम दृष्टया अवलोकन किया गया था क्योंकि निश्चित निष्कर्ष केवल परीक्षण की समाप्ति पर ही प्राप्त किया जा सकता है।

14. अब तक किए गए निवेदनों के समर्थन में परिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने गोपाल दास और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में रिपोर्ट किए गए 2024 (1) आरसीआर (आपराधिक) 894, कमल शिवाजी पोकर्णकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य में रिपोर्ट किए गए 2019 (14) एससीसी 350, धरमबीर कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य और अन्य में एसएलपी (आपराधिक) संख्या 1500/2024, ओमप्रकाश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में रिपोर्ट किए गए 2008 (3) क्रि. सीसी 452, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और अन्य बनाम भारत संघ में रिपोर्ट किए गए 2005 (8) एससीसी 202 और शदाक्षरी बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य में आपराधिक अपील संख्या 256/2024 में प्रतिपादित निर्णय का आधार पर भरोसा किया था। उपरोक्त पर भरोसा करते हुए यह निवेदन किया गया था कि यदि लोक सेवक पर अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय भ्रष्ट आचरण अपनाने का आरोप है तो कोई अभियोजन स्वीकृति अनिवार्य नहीं है और यदि विवाद धोखाधड़ी, जालसाजी और कपट से संबंधित है तो दीवानी और आपराधिक कार्यवाही साथ-साथ चल सकती हैं।

15. अंत में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों और उद्देश्य पर भरोसा किया गया और यह प्रस्तुत किया गया कि स्वीकृति आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता है, खासकर जब इसे महत्वपूर्ण कारकों और विचार के उचित अनुप्रयोग के बाद पारित किया गया हो।

चर्चा और निष्कर्ष

16. अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, बार में उद्धृत निर्णयों पर विचार करते हुए और दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस मोड़ पर, निर्विवाद तथ्यों को दर्ज करना उचित समझता है: -

16.1. कि परिवादी – जांसी लाल द्वारा अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं (राजेश गुर्जर – पटवारी और राजेश भील) के विरुद्ध एफ.आई.आर. संख्या 44/2023 दर्ज की गई थी, जिसमें खसरा संख्या 1898/492 वाली भूमि पर कब्जा रखने का आरोप लगाया गया था (पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार)।

16.2. कि परिवादी और अभियुक्त-याचिकाकर्ता के पास सटी हुई भूमि के टुकड़े हैं।

16.3. कि इसमें प्राथमिक विवाद यह है कि अभियुक्त-याचिकाकर्ता ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन/संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया था। उक्त आवेदन को एस.डी.ओ., तालेड़ा की अदालत ने दिनांक 22.01.2021 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया था।

16.4. कि परिवादी को एक पक्षकार के रूप में शामिल किए बिना एकपक्षीय तरीके से उक्त राजस्व अभिलेख में परिवर्तन किया गया था।

16.5. कि उक्त दिनांक 22.01.2021 के आदेश को परिवादी ने उचित अधिकारियों के समक्ष चुनौती दी थी। अंततः एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6979/2022 में परिवादी के पक्ष में एक अंतरिम संरक्षण प्रभावी किया गया था।

16.6. कि वर्तमान याचिकाओं में दिनांक 13.05.2024 के स्वीकृति आदेश को चुनौती दी गई है। हालांकि, उसकी जांच करने पर यह अनुमान लगाया गया है कि इसे वर्तमान विवाद के महत्वपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित विचार के बाद पारित किया गया है और यह एक तर्कसंगत स्पष्ट आदेश है।

16.7. कि उक्त भूमि की स्थिति और विवरण की बहाली के लिए परिवादी द्वारा एक दीवानी वाद दायर किया गया है जो इस न्यायालय की समन्वय पीठ के समक्ष विचाराधीन है और अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं द्वारा परिवादी के विरुद्ध की गई उक्त जालसाजी और धोखाधड़ी के लिए परिवादी ने वर्तमान एफ.आई.आर. और परिणामी आपराधिक कार्यवाही दर्ज की थी।

17. अतः, वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए कथनों की तुलना करते हुए, यह न्यायालय निम्नलिखित कारणों से वर्तमान याचिकाओं को खारिज करना उचित समझता है:

17.1. यह न्यायालय इस मत का है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों की श्रृंखला में राय व्यक्त की थी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482/बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय को लघु परीक्षण करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। इसलिए, सीबीआई बनाम आर्यन सिंह में रिपोर्ट किए गए 2023 एससीसी ऑनलाईन एससी 379; धरमबीर कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य (एसएलपी आपराधिक अपील संख्या 1500/2024), सुप्रिया जैन बनाम हरियाणा राज्य में रिपोर्ट किए गए (2023) 7 एससीसी 711; गुलाम मुस्तफा बनाम कर्नाटक राज्य में रिपोर्ट किए गए 2023 एससीसी ऑनलाईन एससी 603 में निहित निर्णय का आधार पर भरोसा करते हुए, यह न्यायालय इस राय का है कि 'कानून के मौलिक सिद्धांत के अनुसार, आपराधिक कार्यवाही को आरोपमुक्त करने और/या रद्द करने के चरण में, बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, न्यायालय को लघु परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। आरोपमुक्त करने के चरण में और/या बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, न्यायालय का क्षेत्राधिकार बहुत कम होता है और उसे यह विचार करना होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है या नहीं जिसके लिए अभियुक्त का परीक्षण किया जाना आवश्यक है या नहीं।

17.2. इसके अलावा, दिनांक 13.05.2024 का अभियोजन स्वीकृति आदेश एक तर्कसंगत, स्पष्ट आदेश है, जिसमें अधोहस्ताक्षरी प्राधिकारी ने इसे पारित करने के पीछे का तर्क स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया था। अतः, प्रथम दृष्टया तथ्यों, परिस्थितियों और उक्त आदेश की सामग्री पर विचार करते हुए, इसमें कोई स्पष्ट त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। उक्त आदेश के प्रवर्तनीय भाग का प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त दोनों आरोपित कार्मिकों के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 420, 465, 467, 468, 471, 192, 166@120 वी भा०द०सं० व धारा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट में अपराध प्रमाणित होना माना है।

"उक्त क्रम में अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, अनुसंधान पत्रावली का बाद अवलोकन अनुसंधान अधिकारी से विचार विमर्श उपरान्त, प्रकरण में आरोपी कार्मिक 1, श्री राजेश गुर्जर तत्कालीन हल्का पटवारी डावी व व्यक्तिगत रूप से सुना गया। उक्त प्रकरण में अपराध अन्तर्गत धारा 420, 465, 467, 468, 471, 192, 166@120 वी भा०द०सं० व धारा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोजन चलाए जाने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार है। प्रकरण में आरोपी कार्मिकों ने लोकसेवक के पदीय कर्तव्यों के दौरान उक्त अपराध किये जाने से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृती दी जानी है।"

17.3. इसके अतिरिक्त, सौ. कमल शिवाजी पोकर्णेकर (उपरोक्त) में प्रतिपादित निर्णय का आधार पर भरोसा किया जा सकता है, जिसमें बिना शर्त कहा गया था कि आपराधिक शिकायतों को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि लगाए गए आरोप, दीवानी प्रकृति के प्रतीत होते हैं। उपरोक्त निर्णय से प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"9. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की जांच करने के बाद, हमारा सुविचारित मत है कि उच्च न्यायालय को प्रतिवादियों को समन जारी करने वाले ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द नहीं करना चाहिए था। शिकायत के अवलोकन से पता चलता है कि प्रथम दृष्टया, प्रतिवादियों के विरुद्ध अपराधों का आरोप है। उक्त आरोपों की सत्यता या अन्यथा का निर्णय केवल ट्रायल में ही किया जाना है। प्रारंभिक चरण में किसी भी आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।"

17.4. इसके साथ ही, गोपाल दास और अन्य (उपरोक्त) में निहित निर्णय का आधार पर भी भरोसा किया जा सकता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि अपराध धोखाधड़ी या कपट का है तो दीवानी कार्यवाही का आपराधिक कार्यवाही पर किसी भी

तरह से कोई असर नहीं पड़ता है। उपरोक्त निर्णय का आधार से प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"33. उपरोक्त अवलोकन को इस न्यायालय को माननीय तीन न्यायाधीशों की पीठ वाले सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय से बल मिलता है, जिसका शीर्षक "सैयद असकरी हादी अली ऑगस्टीन इमाम और अन्य बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) और अन्य" है, जैसा कि विशेष रूप से पैरा संख्या 9 और 11 में चर्चा और निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है: -

"9.

निस्संदेह

एक साथ। आपराधिक कार्यवाही में संज्ञान आपराधिक न्यायालय द्वारा इस संतुष्टि पर पहुंचने पर लिया जा सकता है कि प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है।

यह प्रश्न कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में एक या दूसरी कार्यवाही पर रोक लगाई जाएगी या नहीं, कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें मामले की प्रकृति और चरण शामिल हैं।

11. स्वतःसिद्ध रूप से, यदि दीवानी न्यायालय का निर्णय आपराधिक न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है, तो आपराधिक न्यायालय का निर्णय निश्चित रूप से दीवानी न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं होगा। हमने यहां पहले ही उल्लेख किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 स्पष्ट रूप से कहती है कि धारा 40, 41 और 42 में उल्लिखित निर्णयों, आदेशों या डिक्री के अलावा अन्य अप्रासंगिक हैं, जब तक कि ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व एक विवादास्पद तथ्य न हो, या अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत प्रासंगिक न हो। साक्ष्य

अधिनियम का कोई अन्य प्रावधान या किसी अन्य कानून का कोई अन्य प्रावधान हमारी जानकारी में नहीं लाया गया है।

इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ को इकबाल सिंह मारवाह और अन्य बनाम मीनाक्षी मारवाह और अन्य (2005) 4 एससीसी 370 में एक समान प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिला था, जिसमें यह निर्धारित किया गया था:

24. एक और बात है जिसे ध्यान में रखना होगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 की उप-धारा (1) प्रारंभिक जांच करने पर विचार करती है। सामान्यतः, न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान शिकायत दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया जाता है और यह उस चरण में किया जाता है जब कार्यवाही समाप्त हो जाती है और अंतिम निर्णय सुनाया जाता है। धारा 341 शिकायत दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान करती है। अपील की सुनवाई और अंतिम निर्णय में समय लगना निश्चित है। धारा 343(2) शिकायत का परीक्षण करने वाले न्यायालय को मामले की सुनवाई स्थगित करने का विवेक प्रदान करती है यदि उसे यह सूचित किया जाता है कि उस न्यायिक कार्यवाही में दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील लंबित है जिससे मामला उत्पन्न हुआ है। इन प्रावधानों के मद्देनजर, शिकायत का मामला दशकों तक बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकता है, विशेष रूप से दीवानीवादों से उत्पन्न होने वाले मामलों में जहां निर्णयों को क्रमिक अपीलीय मंचों में चुनौती दी जाती है जो समय लेने वाले होते हैं। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 343(2) के तहत पारित आदेश के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत अपील के निर्णय तक मामले की सुनवाई स्थगित कर दी जाती है। ये प्रावधान दर्शाते हैं कि, वास्तव में, न्यायालय द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए

निर्धारित प्रक्रिया ऐसी है कि यह असामान्य रूप से लंबी अवधि तक अपराधी के वास्तविक परीक्षण में फलीभूत नहीं हो सकती है। दोषी व्यक्ति के अभियोजन में देरी उसके लाभ में आती है क्योंकि साक्षी साक्ष्य देने में अनिच्छुक हो जाते हैं और साक्ष्य खो जाते हैं। यह महत्वपूर्ण विचार हमें खंड (बी)(ii) पर व्यापक व्याख्या को स्वीकार करने से रोकता है जिसे रखने की मांग की गई है।"

एम.एस. शेरिफ (उपरोक्त) पर अन्य बातों के अलावा भरोसा करते हुए, यह भी कहा गया था:

"32. अंतिम तर्क पर आते हुए कि दीवानी और आपराधिक न्यायालयों के बीच निष्कर्षों के टकराव से बचने का प्रयास किया जाना चाहिए, यह बताना आवश्यक है कि दोनों कार्यवाहियों में आवश्यक साक्ष्य का मानक पूरी तरह से अलग है।

यह प्रश्न फिर से पी. स्वरूप रानी बनाम एम. हरि नारायण @ हरि बाबू: एआईआर 2008 एससी 1884 में विचार के लिए आया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था:

"13. हालांकि, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि प्रत्येक मामले में।"

17.5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शंभू नाथ मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में रिपोर्ट किए गए (1997) 5 एससीसी 326 में पारित निर्णय पर आगे भरोसा किया जा सकता है:

"5. प्रश्न यह है: क्या कर्तव्य निभाए गए? क्या यह नहीं है? आधिकारिक क्षमता ही उसे अभिलेखों को गढ़ने या सार्वजनिक धन का गबन करने आदि में सक्षम बनाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह उसी लेनदेन के दौरान किए गए अपराध से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ या अविभाज्य रूप से अंतर्संबंधित है, जैसा कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा माना गया था। इन परिस्थितियों

में, हमारी राय है कि स्वीकृति के प्रश्न पर उच्च न्यायालय के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट द्वारा व्यक्त किया गया विचार स्पष्ट रूप से अवैध है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।”

17.6. इसके अतिरिक्त, ओमप्रकाश सिंह (उपरोक्त) में वर्णित निर्णय से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक बार स्वीकृति आदेश पारित हो जाने के बाद, इसे केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि इसमें जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों का सभी विवरण उल्लेख नहीं किया गया था। इसके अलावा, विचाराधीन मामले में उक्त आदेश कथित अपराध के सामग्री अभिलेखों का विश्लेषण करने के बाद ही पारित किया गया है, और भ्रष्टाचार के कमीशन की प्रथम दृष्टया राय बनाई गई थी।

निष्कर्ष और निर्देश

18. यद्यपि इस न्यायालय के पास बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत साक्ष्यों का मूल्यांकन करने का बहुत कम क्षेत्राधिकार है, वर्तमान मामले का न्यायनिर्णयन करते समय महत्वपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया गया। अभिलेखों की जांच और उपर्युक्त के सारांश में यह नोट किया जा सकता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्टया आरोप लगाए गए हैं; अभियोजन स्वीकृति आदेश उसमें बनाई गई राय के पीछे के तर्क को विधिवत स्पष्ट करने के बाद पारित किया गया है, अतः, इसे एक तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश माना जाना चाहिए और तथ्यों के स्थायी मुद्दे को इस न्यायालय द्वारा निपटाया नहीं जा सकता है।

19. उपरोक्त के आलोक में और इसमें शामिल आरोप की जघन्यता पर विचार करते हुए, यह न्यायालय सावधानी बरतने में गलती करना पसंद करेगा और वर्तमान एफ.आई.आर. को रद्द करने से खुद को रोकेगा, परिणामस्वरूप, संबंधित अधिकारियों को कानून के अनुसार सख्ती से आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है।

20. उपरोक्त तथ्यों, टिप्पणियों और नज़ीरों के नियम के मद्देनजर, वर्तमान याचिकाएं किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण खारिज की जाती हैं। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निपटाए जाते हैं।

(समीर जैन), न्यायाधीश

अनिल शर्मा / 35

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

